दैनिक भास्कर
बिलासपुर भास्कर 26-06-2025

हाई कोर्ट • जनहित याचिका पर बुधवार को हुई सुनवाई, कोर्ट कमिश्नर रिपोर्ट में दिए थे सड़क हादसों के आंकड़े

हाईवे किनारे शराब दुकान व ढाबों से बढ़ रहे सड़क हादसे, राज्य सरकार और दो कंपनियों से मांगा जवाब

लीगलरिपोर्टर | बिलासपुर

हाई कोर्ट ने प्रदेश में लगातार बढ़ते सड़क हादसों पर कड़ा रुख अपनाया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने बुधवार को जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईवे के किनारे चल रहीं शराब दुकानों, अतिक्रमण कर बनाए गए ढाबों और खुले में फ्लाई ऐश ढो रहे डंपरों को हादसों की बड़ी वजह मानते हुए राज्य सरकार, एनटीपीसी और एसईसीएल से जवाब मांगा है। हाई कोर्ट ने कहा कि सड़कें सिर्फ परिवहन का साधन नहीं, बल्कि नागरिकों की जान की सुरक्षा से जुड़ी हैं। हादसे रोकने के लिए कठोर कदम उठाने की जरूरत है।

सड़क हादसों को लेकर पिछले साल हाई कोर्ट ने खबरों पर संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका के तौर पर सुनवाई शुरू की थी। एडवोकेट रवींद्र शर्मा को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया था। उन्होंने पिछली सुनवाई में विस्तृत रिपोर्ट पेश की थी। बताया कि मुंगेली जिले के सरगांव में नगर पंचायत कार्यालय के पास ब्लैक स्पॉट है, यहां हाईवे से सटी शराब दुकान संचालित हो रही है। यह राज्य सरकार के नियमों के खिलाफ है, जिसमें हाईवे से 500 मीटर के दायरे में शराब दुकान प्रतिबंधित है। उसी क्षेत्र में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बरम देव ढाबा संचालित किया जा रहा है। ढाबे के सामने वाहन पार्किंग के कारण सड़क पर अव्यवस्था फैली हुई है, जिससे हादसों की आशंका बनी रहती है।

नियमों के खिलाफ ब्लैक स्पॉट और हाइवे से 500 मीटर के दायरे में संचालित हो रही शराब दुकानें

हाइवे पर ढाबों के सामने इस प्रकार वाहनों की लंबी कतारें लगी रहती है, जिससे हादसों का डर रहता है।

कोयला उत्पादक क्षेत्र कोरबा और सरगुजा में सबसे ज्यादा बढ़े हादसे

कोर्ट को दी गई जानकारी के अनुसार कोरबा जिले में सड़क हादसों में 25.44% और सरगुजा जिले में 42.25% की वृद्धि हुई है। ये दोनों इलाके कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं, जहां बड़ी संख्या में डंपर चलते हैं। इसके अलावा कोर्ट कमिश्नर ने बताया कि कई लोग मालवाहक वाहनों से यात्रियों को ढो रहे हैं, जिससे जान का खतरा बढ़ता है। वहीं स्ट्रीट लाइट की कमी और आवारा मवेशियों के कारण भी दुर्घटनाएं हो रही हैं।

हर साल बढ़ रहा है सड़क हादसों का आंकड़ा: कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट

कोर्ट कमिश्नर ने रिपोर्ट में यह भी बताया कि राज्य में सड़क हादसे लगातार बढ़ रहे हैं। वर्ष 2023 में 13,468 दुर्घटनाएं, जिनमें 6,166 लोगों की मौत हुई। 11,723 घायल हुए। वर्ष 2024 में 14,853 दुर्घटनाएं, जिनमें 6,752 मौतें हुईं। जबकि 12,573 लोग घायल हुए। सिर्फ एक साल में हादसों में 10.28%, मौतों में 9.50% और घायलों में 7.25% की वृद्धि हुई है। हाई कोर्ट ने कहा कि यह बेहद गंभीर मामला है।

एनएचएआई ने कहा- ब्लैक स्पॉट में 5 एफओबी बना रहे

एनएचएआई की तरफ से बताया गया कि बिलासपुर-पथरापाली सेक्शन में 17.95 करोड़ रुपए पांच जगह फुट ओवर ब्रिज बनाए जाएंगे। ये एफओबी तुर्काडीह, सेंदरी, मदनपुर, मेलनाडीह-कर्रा और बेलतरा में बनेंगे। इन स्थानों पर क्रैश बैरियर लगे हैं, लेकिन लोग जान जोखिम में डालकर सड़क पार करते हैं। हाई कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर को एनएचएआई के हलफनामे की जांच को कहा है।

फ्लाई ऐश खुले में ढो रहे ट्रक, हवा में उड़ रही धूल

राज्य सरकार ने 20 जून 2025 के हलफनामे में यह स्वीकार किया गया है कि एनटीपीसी और एसईसीएल के डंपर और ट्रक फ्लाई ऐश को बिना ढंके हुए सड़क पर ले जा रहे हैं। इससे भारी मात्रा में धूल उड़ रही है, जिससे राहगीरों और आम नागरिकों को तकलीफ हो रही है। यह भी बताया कि मामले में कार्रवाई भी हुई है। अब तक कुल 2639 मामलों में 36 लाख 9 हजार 900 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। वहीं परिवहन विभाग के उड़न दस्तों ने 2137 मामलों में अतिरिक्त 44 लाख 77 हजार 800 रुपए का जुर्माना लगाया है।